न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी–अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0
अपील सं0 14/2018

1. गोपाल कृष्ण पुत्र स्व0 रामकिशोर
2. गोविंद प्रसाद पुत्र स्व0 रामकिशोर
3. लक्ष्मीकांत पुत्र स्व0 रामकिशोर
4. रुक्मणी पत्नी स्व0 रामकिशोर समस्त जाति सुनार निवासी दौसा ग्राम आलूदा तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा ..अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नॉगल राजावतान जिला दौसा (भू–स्वामी)
2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा आलूदा जरिये शाखा प्रबंधक ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं0 209 दिनांक 05.05.1993 व न्यायालय तहसीलदार, दौसा

उपस्थिति–1. श्री राज कुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार
3. श्री गौरव जैन अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 की ओर से

निर्णय दिनांक: 29.01.19

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने कैम्प आलूदा में दिनांक 05.05.1993 को नामान्तरकरण सं0 209 विरारसत के आधार पर भरकर तस्दीक कर दिया गया । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि वाके ग्राम आलूदा तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 809 रकबा 1.01 है0, 810 रकबा 0.31 है0, 817 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.34 है0 एवं खसरा नंबर 314 रकबा 0.12 है0, 806 रकबा 0.20 है0, 807 रकबा 0.27 है0, 808 रकबा 0.18 है0, 811 रकबा 0.17 है0, 815 रकबा 0.22 है0, 816 रकबा 0.11 है0, 818 रकबा 0.33 है0, 820 रकबा 0.18 है0, 821 रकबा 0.24 है0, 823 रकबा 0.31 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.33 है0 के हिस्सा 1/4 का खातेदार स्व0 रामकिशोर पुत्र मूलचंद थे। जिनके देहांत के पश्चात उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या 209 दिनांक 05.05.1993 को कैम्प आलूदा में पटवारी हल्का द्वारा भरकर तदीक करवा लिया गया जिसकी अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी। जिसमें अपीलांट संख्याा 2 का नाम गोविन्द प्रसाद

की जगह गोविंदा तथा अपीलांट संख्या 3 का नाम लक्ष्मीकांत की जगह बनवारी दर्ज कर दिया गया। जिसका कि पटवारी हल्का व तहसीलदार दौसा को कोई कानूनन अधिकारी नहीं था। जबकि अपीलांट संख्या 2 गोविंद प्रसाद की पहचान के समस्त दस्तावेज गोविंद प्रसाद के नाम से बने हुए है तथा वह सरकारी नौकरी में है, उसके बावजूद भी अपीलांट्स संख्या 2 व 3 का नाम उक्त नामान्तकरण में गलत दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 27.08.2018 को जानकारी होने पर अंदर मियाद दफा–5 कानून मियाद अधिनियम के प्रा0 पत्र के साथ अपील पेश कर निवदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें एवं अपीलांट्स संख्या 2 का नाम गोविंदा की जगह गोविंद प्रसाद व अपीलांट संख्या 3 का नाम बनकारी की जगह लक्ष्मीकांत दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सहवनं से दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही पूर्व में ही करवानी चाहिए फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांट के नाम के हद तक ही है, तो तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

रेस्पो0 सं0 2 के अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अपीलांट्स द्वारा आईसीआईसीआई बैंक से ऋण ले रखा है। ऋण चुकाने हेतु अपीलांट्स को पाबंद किया जावें, जिससे बैक को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, दौसा ने कैम्प आलूदा में दिनांक 05.05.1993 को नामान्तरकरण सं0 209 विरारसत के आधार पर भरकर तस्दीक कर दिया गया । उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरकरण में जो सजरा बनाया गया है उसमें रामकिशोर के गोपालकृष्ण, गोविंदा, बनवारी पुत्र एवं रुक्मणी पत्नी दर्शायी गयी है और तदनुसार पटवारी हल्का ने रामकिशोर के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर कैम्प आलूदा में मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच गिरदावर के अंकित कर तहसीलदार ने दिनांक 05.05.1993 को नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। उक्त नामन्तरकरण के खिलाफ अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांट्स सं0 2 का नाम गोविंदा की जगह गोविंद प्रसाद व अपीलांट सं0 3 का नाम बनवारी की जगह लक्ष्मीकांत दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। इस संबंध में तहसीलदार नॉगलराजावतान से रिपोर्ट ली गई। **तहसीलदार नॉगल राजावतान के पत्रांक भू0अ0/2019/158 दिनांक 25.01.2019 के अनुसार "नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 05.05.1993 द्वारा गोपाल कृष्ण, गोविंदा, बनवारी पि0 रामकिशोर मु0 रुक्मणी बेवा रामकिशोर के नाम स्वीकार हुआ था। जॉच अनुसार गोविंदा को गोविंद प्रसाद एवं बनवारी को लक्ष्मीकांत के नाम से भी जानते है। मौके पर प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति पेश की गई है, जिसमें बनवारी के बजाय लक्ष्मीकांत दर्ज है और गोविंद प्रसाद के आधार कार्ड, राशनकार्ड में गोविन्द प्रसाद ही दर्ज हैं, अंकित कर प्राप्त हुई है।"** रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायत का पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि की छाया प्रतियॉ भी लगाई गई है। जमाबंदी संवत 2071–74 में गोपालकृष्ण, गोविंदा, बनवारी पि0 रामकिशोर व मु0 रुक्मणी पत्नी स्व0 रामकिशोर जगदीश पुत्र मूलचंद हि0 1/2 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा आलूदा मूर्तहिन अंकित है। इसलिए रेस्पो0 सं0 2 आईसीआईसीआई बैंक शाखा आलूदा से अपीलांट्स ने जो ऋण ले रखा है, उसकी नियमानुसार अदायगी अपीलांट करेगा तथा ऋण वसूली की प्रकिया पर इस आदेश का कोई विपरीत प्रभाव रेस्पो0 सं0 2 आईसीआईसीआई बैंक के हित/अधिकारों (मूर्तहीन) पर नहीं पडेगा। इसलिए इस न्यायालय द्वारा सीधा ही कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 209 पर पारित आदेश दिनांक 05.05.1993 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नॉगल राजावतान को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही राहिन मूर्तहीन अंकन पर कोई प्रभाव नहीं पडें इसकी सुनिश्चितता की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 29 जनवरी, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official